न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2020/00271 अपील संख्या 365/2020

1. बन्नाराम पुत्र श्री बिरधाराम जाति गुर्जर – मृतक (जरिये कायम मुकाम)
1/1. नन्दाराम पुत्र बन्नाराम
1/2. मदन गोपाल पुत्र बन्नाराम (मृतक दौराने अपील)
1/1/1. सेवाराम पुत्र स्व. नन्दाराम
1/1/2. उगमाराम पुत्र स्व. नन्दाराम
1/1/3. त्रिलोक चन्द पुत्र स्व. नन्दाराम
1/1/4. जगदीश पुत्र स्व. नन्दाराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता जमना देवी
1/1/5. पूजा पुत्री स्व. नन्दाराम
1/1/6. जमना पत्नी नन्दाराम
1/2. मदन गोपाल पुत्र बन्नाराम (मृतक दौराने अपील)
1/2/1. केली देवी पत्नी मदन गोपाल
1/2/2. कोमल पुत्री मदन गोपाल
1/2/3. धारा सिंह पुत्र मदन गोपाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता केली देवी
2. रामलाल पुत्र श्री कल्याण जाट
3 सांवलराम पुत्र श्री कानाराम यादव
4 जगन्नाथ पुत्र गंगाराम जाति बलाई
5 जितेन्द्र पुत्र भैरू ब्राहमण
6 रंगपुत्र नाथू बलाई
7. रिद्धकरण पुत्र रोडू गुर्जर (मृतक दौराने अपील)
7/1. श्योजीराम गुर्जर पुत्र श्री रिद्धकरण (मृतक दौराने अपील)
7/1/1. रामअवतार पुत्र श्योजीराम
7/1/2. प्रेम देवी पत्नी श्योजीराम
7/1/3. बनवारी पुत्र श्योजीराम
7/1/4. हीरा पुत्री श्योजीराम
7/2. लाईन मैन गुर्जर पुत्र श्री रिद्धकरण गुर्जर
8. गणेश पुत्र सुजाराम गुर्जर
9. झुंथाराम पुत्र भैरू जाट
10. हनुमान पुत्र मांगू जाति जाट समस्त निवासीगण मातडो, तहसील फुलेरा जिला जयपुर ।

–अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री वंशीधर, जाति ब्राहमण, निवासी सार्दुलपुरा, हाल निवासी मातेडा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।
2. श्री हरलाल पुत्र श्री कल्याणमल जाति जाट निवासी चौनपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।
3. श्री भंवर लाल पुत्र श्री भैरू जाति जाट निवासी गातेडा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज० ।
4. उपखण्ड अधिकारी, अध्यक्ष, आवंटन कमेटी तहसील सांभर ।

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय जयपुर दिनांक 08.07.2019 उनवानी बन्नाराम बनाम श्याम सुन्दर वगैरह में पारित किया गया जिसके तहत

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आंवटन आदेश दिनांक 20.02.1973 को बहाल रखा रखा है के विरूद्ध प्रस्तुत है।

उपस्थित–

1. श्री ब्रजेश पारीक, वकील अपीलान्ट
2. श्री के.के.पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक –03.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर के निर्णय दिनांक 08.07.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार तहसीलदार फुलेरा मुकाम सांभर लेक में दिनांक 07.04.2006 को रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 132/12 किता 1 रकबा 10 बीघा की भूमि का दिनांक 20.02.73 को आवंटन करवाकर गैर खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 24.05.73 को दर्ज करवाकर तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 218 दिनांक 26.09.77 को गैर खातेदारी से खातेदारी का दर्ज करवाकर दिनांक 17.11.2005 को रेस्पोडेन्टर संख्या 2 के हक में 3/4 हिस्सा एवं 2 के हक में 1/4 हिस्सा बैचान कर दिये जाने पर ग्रामवासी मातेड़ा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर जॉच करने के उपरान्त उक्त भूमि सडक से पश्चिम दिशा में आंशिक भूमि केवल सडक बनी हुई है एवं तलाई बनी हुई है जो ग्रामवासियों के मवेशियो के पानी पीने के उपयोग में आ रही है । इन तथ्यों की जाँच के पश्चात अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत प्रकरण बनाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 26/2006 अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत हो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध कार्यवाही की गई। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से रेस्पोडेन्टस संख्या 1 आवंटी एवं रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 व 3 खरीदारान के विरूद्ध धारा 14 (4) की कार्यवाही में भाग लेकर समय समय पर जिला कलेक्टर एवं उप–जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक एवं अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर के समक्ष समय समय पर तालाब की भूमि का बैचान एवं कब्जा के सम्बन्ध में कार्यवाहियां की गई । जिस पर सार्वजनिक हित की भूमि को ध्यान में रखकर समस्त ग्रामवासियों की तरफ से की गई कार्यवाही को महत्वपूर्ण समझ कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा ग्रामवासियों की ओर से प्रस्तुत प्रकरण संख्या 33/06 दर्ज किया जाकर आवंटी व खरीददारान के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की गई उक्त दोनो प्रकरणों की अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई की जाकर अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर ने दिनांक 27.04.2007 को प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपने निर्णय में यह निर्देश दिये की विवादित भूमि में राजस्व रिकार्ड की स्थिति स्पष्ट नही है । इससे प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि आवंटन से सम्बिधित भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य आवंटन से सम्बन्धित प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें। उक्त दोनो प्रकरणो की अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय जयपुर द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई की जाकर अतिरिक्त कलेक्टर महोदय ने दिनांक 27.04.2007 को प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपने निर्णय में यह निर्देश दिये की विवादित भूमि में राजस्व रिकार्ड की स्थिति स्पष्ट नही है। इससे प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर प्रकरण

तहसीलदार फुलेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि आवंटन से सम्बिधित भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य आवंटन से सम्बन्धित प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें । अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 27.04.2007 के विरूद्ध रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 की ओर से 2 अपीले क्रमशः 22/07 व 23/07 विद्वान राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.09.2008 के द्वारा स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 27.04.2004 को निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध हाल अपीलान्टस द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर राज० में द्वितीय अपील प्रकरण संख्या 4823/2009 उनवान गोरधन बनाम हरलाल वगैरह पेश की गई । राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 25.10.2016 उक्त अपील में निर्णय पारित किया गया जिसमें निर्णय पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 04.09.2008 खारिज किया गया । प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया की आवंटन प्रकरण की पत्रावली एवं अन्य सम्बन्ध रिकार्ड की जाँच करवाई जाकर आवंटी एवं अन्य सम्बन्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर न्याय संगत आदेश 6 माह की अवधि में आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये । प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतृर्थ जयपुर में प्रकरण संख्या 265/2016 पुनः दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलवी नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात पत्रावली जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 30.07.2018 जब अतिरिक्त जिला तृतीय के यहाँ प्रकरण संख्या 71/2018 पुनः दर्ज की गई जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.07.2019 पारित किया गया कि खसरा नंबर 132 की किस्म बेजड अव्वल आंवटन के समय भी थी वही किस्म आज तक बरकरार है। अतः उक्त भूमि तलाई या नाडी हो यह रिकॉर्ड के आधार पर साबित नहीं होता है। अप्रार्थी को वर्ष 1973 में सद्भावी काश्तकार के नाते किये गये आंवटन एंव तत्तपश्चात प्रदान की गई. खातेदारी के 46 वर्ष पश्चात अब उसके आंवटन को खारिज किया जाना किसी भी स्थिति में न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) अस्वीकार किया जाने के आदेश पारित किये गये।

3. अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 08.07.2109 से व्यथित होकर अपीलान्ट बन्नाराम पुत्र बिरघाराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 08.07.2109 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्टान नम्बर 1/1 लगायत 10 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –14 (4) आवंटन अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिलाधीश चतुर्थ के यहां प्रस्तुत किया, कि ग्राम मातेडा तहसील फुलेरा में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर–132/2 रकबा 10 बीघा ग्राम मातेडा तहसील फुलेरा में जो गैर मकबूजा सार्वजनिक तालाब तलाई हैं जो ग्राम मातेडा के निवासीगण प्रार्थीगण के पशुओ को पानी पिलाने के काम मे व उपयोग मे आती हैं उक्त भूमि का गलत आवंटन दिनांक 20.02.1973 को श्याम सुन्दर पुत्र बंशीधर ब्राहमण निवासी सार्दुलपुरा के नाम से कर दिया गया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति

कभी भी ग्राम सार्दुलपुरा मे निवास नही करता न आवंटन के समय मौजूद रहा था। उक्त गलत आवंटन के बाद कोई कब्जा नही किया गया और न कभी उक्त भूमि पर आवंटी द्वारा काश्त की गई। जबकि अवैध तरीके से किये गये आवंटन की राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा इन्द्राज कर दिया था। उसके उपरान्त खातेदारी की बिनाह पर उक्त भूमि का बेचान भी हाल रेस्पोडेन्ट नम्बर–2 व 3 के नाम कर दिया। श्याम सुन्दर के विरूद्ध ग्राम वासियो ने उपखण्ड अधिकारी सांभर के यहां वाद प्रस्तुत कर रखा हैं। जिसमे स्पष्ट रूप से आया कि श्याम सुन्दर पुत्र बंशीलाल नाम का व्यक्ति वास्तव मे इस ग्राम गातेडा का निवासी नही रहा हैं। तथाकथित निवर्तमान व्यक्ति श्रीनारायण भारद्वाज पं०सं०का सचिव था। उसने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए आवंटन करा लिया था यह सार्वजनिक आम जनता के उपयोग एवं मवेशियों के चारा पानी की भूमि रही हैं। चूंकि जमीनो के भाव बढ जाने से भू–माफियों लोक सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने पर तुले हुए हैं आवंटन नियमों शर्तों की कतैई पालना नही की गई न कोई आवंटन के समय उदघोषणा आवंटन कमेटी द्वारा कि गई थी और न ही आवंटन कमेटी में कौरमपूर्ण थी इस कारण से भी आवंटन निरस्तनीय हैं। न ही आवंटन कमेटी द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमि की मौका स्थिति की जांच की गई हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) कृषि भूमि आवंटन स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 20.02.1973 निरस्त फरमाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र माननीय एडीएम चतुर्थ जयपुर मे प्रकरण दर्ज कर प्रकरण संख्या–35/2006 मे अप्रार्थीगण को नोटिस तलब कर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर प्रकरण को गुणावगुण पर सुनवाई कर दिनांक 27.04.2007 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमे प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर प्रकरणाधीन प्रार्थना पत्र के तथ्यो एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों मौका रिपोर्ट के आधार पर आवंटन आदेश दिनांक 20.02.1973 को खारिज कर श्रीमान तहसीलदारजी सांभर को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व भूमि की मौका स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड की जांच कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाने बाबत प्रकरण रिमाण्ड किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या–2 हरलाल ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां दो अलग अलग अपीले प्रस्तुत की गई। अपील संख्या–22/2007 बन्नाराम व अपील संख्या–23/2007 सरकार बनाम श्याम सुन्दर में दिनांक 04.09.2008 को अपील स्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया गया जिसमे अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर के निर्णय दिनाक 27.04.2007 निरस्त किया गया, उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्टान द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जिसमे प्रकरण पर विस्तृत विवेचना करते हुए राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दोनों अपीलों मे निर्णय पारित करते हुए निर्णय किया गया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 04.09.2008 को निरस्त कर प्रकरण श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ के यहां प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण मे प्रश्नगत राजस्व भूमि के मौका, सार्वजनिक उपयोग ग्रामिणों के मवेशियों के उपभोग की भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं आवंटन नियमों की पालना में हुए अनियमितता एवं कानूनी प्रावधानों के मध्य नजर रखते हुए आवंटी एवं अन्य सम्बन्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये । प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर के प्रकरण संख्या 266/2016 पुनः दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण संख्या 1 व 7 के मृत होने के कारण कायम मुकामान बाबत कहते हुए अप्रार्थीगण को तलवी नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 1 की तामील समाचार पत्र में

माननीय आयुक्त
जयपुर

नोटिस प्रकाशन का आदेश पारित कर पत्रावली आगामी तारीख पेशीगों में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जयपुर के आदेश क्रमांक कोर्ट /गैं अ / 2018 / 1464 दिनांक 30.01.2018 द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय जयपुर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 72/2018 पर दर्ज होकर बिना पार्टी के कायम मुकामान जो कि पत्रावली की आर्डरशीट पर आदेशित होने के उपरान्त भी बिना प्रार्थी कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के ही पत्रावली बहस में रखते हुए विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर दिनांक 08.07.19 को निर्णय पारित किया गया। ग्राम मातेडा में रोड के पश्चिम दिशा मे एक कुण्ड तालाब है जिसमें ग्राम के मवेशियों, पशुओं व ग्राम वासियो के स्नान व पानी पीने के काम आता है इस तालाब का गलत तरीके से विधि विरूद्ध जाकर आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन रेस्पोडेन्ट नम्बर-1 को कर दिया गया था जिसकी जानकारी ग्राम वासियों को भी नही थी इस तालाब पर पंचायत द्वारा व राजस्व सरकार द्वारा तालाब की खुदाई करवाई गई है जिसमें पाल व गहराई का काम करवाया गया था जिसमें लाखों रूपये राज्य सरकार के लगाए गये है अब इस तालाब पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है जिसका खसरा नम्बर 132 है । जिसमें 10 बिघा भूमि का विधी विरूद्ध आवंटन किया गया है उक्त तालाब में वर्षो पुराना सार्वजनिक कुण्ड भी है उक्त कुण्ड से ग्रामवासी अपने पीने के लिए पानी काम में लेते आए है। कुछ समय पूर्व ग्रामवासियो को जानकारी हुई की उक्त तालाब की भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 श्याम सुन्दर पुत्र बंशीधर निवासी सार्दुलपुरा के नाम से आवंटित है एवं उक्त व्यक्ति ने उक्त तालाब का बैचान कर दिया है तथा दूसरे व्यक्ति को कब्जा करवाने पर उतारू है एवं आवंटी श्याम सुन्दर पुत्र बंशीधर ग्राम पंचायत सार्दुलपुरा में आने वाली किसी भी ग्राम का निवासी नहीं है फिर भी नाजायज तरीके से ताबाब की भूमि को छुपे तौर पर आवंटन करवा लिया । जबकि राज्य सरकार द्वारा लाखों रूपये खर्च करके तालाब कुण्ड की सफाई करके पानी उपलब्ध करवाया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्याम सुन्दर ने दिनांक 20.02.73 को अपने नाम सार्वजनिक तलाई व मवेशियों के पीने के पानी की बावडी का आवंटन करवाया है। आवंटि ग्राम मातेडा या सार्दुलपुरा का रहने वाला नही है न ही वह कृषक है एवं न ही उक्त भूमि क़ाबिल काश्त में है जबकि मौके पर तलाई व कुण्ड के रूप में काम में आ रही है एवं उक्त भूमि कानूनन धारा 16 में आवंटन के लिए वर्जित है एवं ऐसी सार्वजनिक भूमि के बाबत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कई जॉच रिपोर्ट, मौका निरक्षण की पत्रावली पर मौजूद है जिसमें साफ तौर पर कहाँ गया है कि यदि इस गांव इस नाम का कोई व्यक्ति नही है एवं मौके पर भूमि पर कोई काश्त कभी हुई ही नही है, को नजर अंदाज कर जो निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है व प्रारम्भ से ही शून्य है। अधिनस्थ न्यायालय माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय द्वारा पत्रावली का बिना अवलोकन किये ही जो निर्णय पारित किया गया है वह निरस्तनीय है क्योंकि श्रीमान जिला कलेक्टर चतुर्थ द्वारा ऑर्डर शीट दिनांक 10.01.17 में अंकन किया गया कि "पत्रावली पेश हुई प्रार्थी संख्या 2 से 6, 8 की ओर से श्री ओ.पी. वर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया शामिल मिसल हो । अप्रार्थी संख्या 2, 3 के अभिभाषक उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1, 4 की तलबी जारी हो वकील प्रार्थी ने प्रार्थी संख्या 1 व 7 की मृत्यु होना जाहिर किया है कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु समय चाहा है । पत्रावली दिनांक 23.01.17 को पेश हो रिकार्ड हेतु तहरीर जारी हो । पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित ऑर्डरशीट लिखी गई थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कायम मुकाम प्रार्थना पत्र लिये ही मृत व्यक्ति को पक्षकार मानते हुए जो निर्णय पारित किया गया वह सरासर गलत एवं खारिज किये जाने योग्य है क्योकि उक्त प्रकरण श्रीमान राजस्व मण्डल

अजमेर से रिमांड होकर आया था जिसमें प्रार्थी संख्या 1 के वारिसो द्वारा व अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 6 एवं 7/1 व 7/2 के पिता 8 लगायत 10 के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिसमे प्रकरण श्रीमान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित हुआ परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय की प्रति पत्रावली पर मौजूद होने के उपरान्त भी न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मीमों में मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर जो निर्णय पारित किया हैं वह सरासर अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर ऑर्डरशीट पर मृतक व्यक्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध होने के बाद भी कोई कार्यवाही नही की गई व इसके विपरित मेरिट पर जाकर जो निर्णय पारित किया गया है वह निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण रिमांड (प्रतिप्रेषित) होकर आया जिसमें निर्देशित किया गया कि प्रकरण अपील/एल.आर.एक्ट/9872/2008/जयपुर इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय इन विवादित बिन्दुओ की जॉच कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें जो निम्न है:–

1. आवंटन चाहने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी श्याम सुन्दर द्वारा बिन्दू संख्या 3 में नियम 11 के तहत अपनी पात्रता का कम अंकित नही किया है ना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का स्थान एवं दिनांक अंकित किया है इस प्रार्थना पत्र पर किसी भी अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी अंकित नही की गई है इसके बावजूद इसकी पुश्त पर पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मातेडा के खसरा नम्बर 1.32/10 बंजड सिवाई चक बिना कब्जा भूमि उपलब्ध होने की टिप्पणी की है रकबा 10 बीघे पर (ओवरराईटिंग) की जाकर उसे हिन्दी के 8 अक्षर में बदला गया है ।
2. दिनांक 20.02.1973 को ही सांभर में आवंटन कमेटी की बैठक खसरा नम्बर 132/10 बीघा भूमि आवंटन का आदेश है लेकिन हस्ताक्षर करने वाले तीनो व्यक्तियों के नाम पद नाम का विवरण या पद की मोहर अंकित नही है ।
3. आवंटन नियम 15 के अनुसरण में जारी होने वाले फार्म 5 के आदेश की दो प्रतियॉ संलग्न है लेकिन दोनो ही प्रतियों पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर पद की मोहर एवं दिनांक अंकित नही है ।
4. प्रार्थी श्याम सुन्दर ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वय को सार्दुलपुरा तहसील फुलेरा का निवासी अंकित किया है जब कि फार्म 5 में तहसील सांभर अंकित है ।
5. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 132 का रकबा 15 बीघा लिखा है पटवारी रिपोर्ट में 10 बिघा लिखा जाकर 8 बीघा बनाया गया है एवं आवंटन कमेटी ने 10 बीघा आवंटन का आदेश दिया है पटवारी रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरिक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार की कोई टिप्पणी अंकित नही है ।
6. वर्ष 1973 में आवंटन के केवल 4 वर्ष बाद में ही वर्ष 1977 में आवंटी को खातेदारी भी प्रदान कर दी गई है जबकि उक्त वर्षो में भूमि पर कोई काश्त ना किया जाना गिरदावरी रिपोर्ट से जाहिर है ।
7. कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, (1) एवं 15 की पालना का आवंटन की पत्रावली में प्रथम दृष्टया स्पष्ट से अभाव प्रकट हो रहा है ।

इन समस्त तथ्यों के रिकोर्ड पर उपलब्ध होने के बावजूद विद्वान अधिनस्थ न्यायायलय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय जयपुर ने इनकी बिना परीक्षण एवं जांच कमेटी मनमानें ढंग से नजर अन्दाज करते हुए आवंटन मे किसी प्रकार का फोड या मिसरिप्रेजेन्टेशन ना होना मानते हुए आवंटन को पूर्णतया सही मानने मे गम्भीर विधिक त्रुटि की हैं नियम 14 (4)

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मे भी की जाने वाली कार्यवाही केवल मात्र फोड या मिसरिप्रेजेन्टेशन के आधार पर ही नही वरन नियम विरूद्ध आवंटन की स्थिति मे या आवंटन की शर्तो की अवहेलना की स्थिति मे भी की जाने प्रावधीत है। चूंकि इस प्रकरण में आवंटन नियमों की अवहेलना प्रथमदृष्टया पुख्ता रूप से साबित हो रही है जिसका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज कर जो निर्णय पारित किया गया हैं पूर्णत: दोषपूर्ण होकर खारिज किये जाने योग्य हैं। बिन्दूओं की बिना जॉच किये आवंटन दिनांक 20.02.1973 को बहाल रखने का जो आदेश पारित किया गया है वह प्रारम्भ से ही शून्य व खारिज किये जाने योग्य है । अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के बाबत श्रीमान तहसीलदार महोदय फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) उनवानी सरकार बनाम श्याम सुन्दर मे श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय चतुर्थ जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 265/2016 की पत्रावली आर्डरशीट दिनांक 19.06.17 में पत्र कमांक 2495 दिनांक 08.06.17 के माध्यम से मौका एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति के लिए मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जो दिनांक 19.06.17 को प्राप्त हो पत्रावली पर शामिल की गई जो पत्रावली पर मौजूद है का बिना अवलोकन किये ही निर्णय पारित किया गया जो सरासर गलत एवं अवैध होने से निरस्तनीय है। यह कि उपरोक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2017 में साफ तौर पर अंकित है की श्याम सुन्दर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मातेडा में नही रहा है और न ही आवंटन के समय इस नाम का कोई व्यक्ति निवास करता था । गांव का नाम बदलकर जो आवंटन श्याम सुन्दर द्वारा करवाया गया है वह गलत है जबकि वास्तविकता यह है कि राजस्व भूमि आराजीयात का मौके पर जनहित रूप में तालाब तलाई के रूप में गांव के मवेशियों के लिए पानी पीने के उपयोग में आ रही है उक्त रिपोर्ट को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी लिखित बहस में समस्त तथ्यों को प्रकट करते हुए कहॉ कि विक्रय पत्र में श्याम सुन्दर नाम का व्यक्ति ग्राम मातेडा का पता दर्ज करवाकर विक्रय पत्र तस्दीक किया गया है परन्तु ग्राम मातेडा में श्याम सुन्दर नाम का कोई व्यक्ति निवास नही करता है कि रिपोर्ट संलग्न करने पर भी उक्त विवादक बिन्दू पर कोई आधार अपने निर्णय में नही दिया है जबकि वकालतनामें में बैनाड लिखा गया है जो पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज से ही स्पष्ट हो रहा है कि दोनो पत्रो में विरोधाभास होने के बिन्दू को भी नजर अंदाज कर जो निर्णय पारित किया है वह खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण रिमाण्ड होकर इस निर्देश के साथ आया है कि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मातेडा के खसरा नम्बर 132/2010 बंजड सिवाई चक बिला कब्जा भूमि उपलब्ध होने की रिपोर्ट की है । रकबा 10 बीघा पर (ओवरराइटिंग) की जाकर उसे हिन्दी में 8 अक्षरो में बदला गया है दिनांक 20.02.73 को ही सांभर में आवंटन कमेटी की बैठक में खसरा नम्बर 132/2010 बीघा भूमि आवंटन का आदेश है लेकिन हस्ताक्षर करने वाले तीनो व्यक्तियों के नाम पद नाम का विवरण या पद की मोहर अंकित नही है आदेश की प्रतियों पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर पद की मोहर एवं दिनांक अंकित नही है वर्ष 1973 में आवंटन में केवल 4 वर्ष बाद ही वर्ष 1977 में आंवटी की खातेदारी भी प्रदान की गई जबकि उक्त वर्षो में भूमि पर किसी भी रूप से काश्त नही की गई थी उक्त बिन्दूओं पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जॉच नही की गई व निर्णय पारित किया गया है वह सरासर गलत एवं अवैध होने से निरस्तनीय है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त खसरा नम्बर में अन्य व्यक्तियों को भी आवंटन किया गया है, जिनकी पत्रावलियों का अवलोकन किया गया है का कथन कर गलत रूप से विधिक प्रावधानों को नजर अंदाज कर आवंटनो का हवाला देते हुए

प्रकरणाधिन अहम बिन्दूओं का बिना परिक्षण किये ही निर्णय पारित किया गया है व निरस्तनीय है । यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कहाँ गया की इतने वर्षो बाद आवंटन को चुनोती नही दी सकती है । फाइंडिंग गलत है क्योकि विधी विरूद्ध किये गये आवंटन मिस प्रजेन्टेन्शन कुट रचित एवं गलत तथ्यों के आधार पर करवाए गये आवंटन को किसी भी समय चुनोती दी जा सकती है विधि के अहम बिन्दू को नजर अंदाज कर जो निर्णय पारित किया गया है वह निरस्तनीय है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण प्रार्थीगण व की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर पत्रावली वास्ते आदेश बाबत दिनांक 08.07.19 के लिए नियत की गई प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.07.19 को पेश हुए, श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय राजकार्य में व्यस्त होने के कारण निर्णय नही हुआ है आप दो तीन दिन बाद आना, रिडर साहब ने कहाँ आप मेंरे से मालूम कर लेना प्रार्थी पुनः रिडर साहब से मिला तो वही उत्तर मिला प्रार्थी बार बार कोर्ट में जाकर निर्णय के कम में पूछता रहा, दिनांक 28.08.19 को श्रीमान रिडर साहब से ज्ञात हुआ की प्रकरण में निर्णय हो गया है प्रार्थी द्वारा नकल बाबत प्रार्थना पत्र उसी दिन प्रस्तुत किया गया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 02.09.2019 को प्रार्थी को नकल प्राप्त हुई नकल प्राप्त होने के बाद अभिभाषक से विधिक राय अपनाकर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है ।अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय जयपुर का निर्णय दिनांक 08.07.19 निरस्त फरमाया जाकर अन्य दादरसी करीने इंसाफ मोफिद अपीलान्टगण अता फरमाई जावें।

6. वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने दौराने बहस कथन किया कि खसरा नंबर 132 का बडा रकबा है। जो 232 बीघा है, जो सिवायचक भूमि है उसमें से 10 बीघा भूमि का आवंटन विधिवत रूप से 20.02.1973 को श्याम सुन्दर को किया गया। इसके पश्चात गैर खातेदारी का नामान्तकरण 24.10.1973 एवं खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 218 दिनांक 25.02.1977 को स्वीकार किया गया। उसके बाद खातेदार श्याम सुन्दर ने वैधानिक रूप से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को विधिवत रूप से बेचान किया जिस पर काबिज है। आवंटन किसी रूप से फर्जी नहीं है, वैधानिक है। वर्ष 1973 के आवंटन को अब इतने लम्बे समय पश्चात निरस्त करने का कोई वैधानिक आधार भी नहीं है। इसी खसरा नंबर में अन्य लोगों को भी भूमि आवंटित की गई थी। जिस पर खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं। केवल दुर्भावनावश गाँव के लोग पीछे पडे हैं एवं नियम विरूद्ध आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही कराना चाहते हैं। जमाबंदी में उक्त भूमि सिवायचक बंजर बारानी दर्ज है। प्रार्थीगण ने उक्त विवादित भूमि के संबंध में आज्ञा भी चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, सांभर द्वारा निरस्त हो चुकी है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन व राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन 14 (4) आवंटन नियम निरस्त फरमाया जाये ।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार फुलेरा मुकाम सांभरलेक ने ग्राम मातेडा तहसील फुलेरा में स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 132/12 कुल रकबा 10 बीघा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम मुताबिक जमाबंदी खाता संख्या 155 में खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दिनांक 20.02.1973 को आंवटन होने पर आंवटी श्यामसुन्दर पुत्र बंशीधर कौम ब्राहमण निवासी शार्दुपुरा के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 106 दर्ज होकर दिनांक 24.05.1973 को स्वीकार

हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि को जरिये बेचान पत्र दिनांक 17.11.2005 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में हिस्सा 3/4 एवं अप्रार्थी संख्या 3 के हक में हिस्सा 1/4 उक्त भूमि का बेचान कर दिया। अप्राथी संख्या 1 द्वारा आवंटन पंश्चात मुताबिक रिकॉर्ड खसरा गिदावरी चौसाला सम्वत 2033 से 2047 तक काश्त नहीं की गई। वर्णित भूमि की खातेदारी अधिकार अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में बेचान पत्र पंजीबद्ध कर दिया । ग्रामवासी मातेडा द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच पाया गया कि उक्त भूमि सडक से पश्चिम दिशा में आंशिक भूमि में ग्रेवल सडक बनी हुई है एवं तलाई बनी हुई है, जो ग्रामवासियों के मवेशियान के पानी पीने के उपयोग में आती है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) उनवानी सरकार बनाम श्याम सुन्दर मे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर की अन्य पत्रावली संख्या 71/2018 उनवानी सरकार बनाम श्याम सुन्दर की आर्डरशीट दिनांक 19.06.17 में तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक के पत्र कंमाक 2495 दिनांक 08.06.17 के माध्यम से मौका एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति के लिए मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जो दिनांक 19.06.17 को प्राप्त हुई पत्रावली पर शामिल की गई जो पत्रावली पर मौजूद है। उपरोक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2017 में साफ तौर पर अंकित है कि श्याम सुन्दर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मातेडा में नही रहा है और न ही आवंटन के समय इस नाम का कोई व्यक्ति निवास करता था। गांव का नाम बदलकर जो आवंटन श्याम सुन्दर द्वारा करवाया गया है वह गलत है। राजस्व भूमि आराजीयात का मौके पर जनहित रूप में तालाब तलाई के रूप में गांव के मवेशियों के लिए पानी पीने के उपयोग में आ रही है। इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत आंवटन आदेश में अब्दुल रहमान प्रकरण में जारी दिशा निर्देशों के तहत भी तालाब तलाई भूमि बाबत भी जो व्याख्या की गई है जिसके तहत तालाब तलाई भूमि में कोई हक व अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है तथा तालाब तलाई भूमि को संरक्षित किया जाना उचित है। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2019 पारित किया है जो विधि सम्मत नही है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2019 को निरस्त किया जाता है तथा आंवटन कमेटी द्वारा ग्राम मातेडा तहसील फुलेरा में स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 132/12 कुल रकबा 10 बीघा भूमि का आंवटन आंवटी श्यामसुन्दर पुत्र बंशीधर कौम ब्राहमण निवासी शार्दुलपुरा को आंवटन आदेश दिनांक 20.02.1973 निरस्त किया जाता है एवं उक्त आंवटन आदेश दिनांक 20.02.1973 के पश्चात हुये राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात को भी अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि वापस राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज किया जावे।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।